न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/188

1. मुकेश पुत्र हरिशचन्द जाति काछी ।
2. रामबाण पुत्र हरिशचन्द जाति काछी ।
3. अशोक पुत्र हरिशचन्द्र जाति काछी ।
4. लखपति पुत्री हरिशचन्द्र जी जाति काछी निवासीगण शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. शांति बाई पुत्री धन्ना लाल जी ।
2. धापू बाई पुत्री धन्ना लाल जी ।
3. नट्टी बाई पुत्री धन्ना लाल जी ।
4. विद्या पुत्री धन्ना लाल जी जाति काछीयान निवासीगण शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. हरिशचन्द्र पुत्र धन्ना लाल जाति काछी निवासी ग्राम शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुनन्दन गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 09 रकबा 2.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.20 हैक्टर कुल दो किता रकबा 2.54 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि पक्षकारान के पिता धन्नालाल के खातेदारी में थी उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 के खातेदारी में दर्ज हुई । उक्त

आराजी में नामान्तरकरण संख्या 226 हकत्याग दिनांक 05.08.2004 से रिलीज डीड से वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर उनके हिस्से पर प्रतिवादी कम 1 का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ । वादीगण ने कभी भी प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में अपने हिस्से की आराजी का हक त्याग नहीं किया है । वादीगण का उक्त आराजी में अपने हिस्से 4/5 पर शामलाती कब्जा चला आ रहा है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 4/5 हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा इंतकाल संख्या 226 दिनांक 05.08.2004 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण एवं खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के द्वारा वादी का वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 13.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही राजीनामा को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्ट का जन्म से ही हक व अधिकार है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक वाद मुकेश बनाम हरिशचन्द्र वगै0 जैरकार है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद की सम्पूर्ण जानकारी प्रतिवादी को है उन्होंने अपना जवाबदावा दिनांक 07.07.2010 को दिया था । उक्त तथ्य को छुपाते हुए गलत बयानी करते हुए राजीनामा पेश कर उक्त वाद को निर्णित करवा लिया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । अपीलान्ट ने उक्त वाद में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ था जो स्वीकार कर संशोधित टाईटल वाद पेश अदालत पत्रावली में पेश किया जा चुका है किन्तु अदालत ने उक्त संशोधन पर ध्यान नहीं दिया व वादी एवं प्रतिवादी ने गुपचुप तरीके से कैम्प में राजीनामा कर प्रकरण का निरस्तारण करवा लिया है जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । अतः अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में अपना हित निहित होना बताया है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.03.2016 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह

अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपीलान्टगण को पक्षकार बनाया था उसके उपरान्त बिना अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर दिये उक्त वाद लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा किये गये राजीनामा के आधार पर डिक्री किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट पक्षकार है परन्तु उनके द्वारा राजीनामा पेश नहीं करने के बावजूद दावा राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाना अंकित है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश कर पक्षकार बनने की प्रार्थना की थी । इस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.03.2011 को स्वीकार किया था और न्यायालय के आदेश की अनुपालना में वादीगण द्वारा संशोधित टाईटल भी पेश किया गया था जिसमें अपीलान्टगण को प्रतिवादी कम 2 से 5 की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है, पत्रावली जवाब सरकार में लम्बित थी और इसे दिनांक 13.07.2015 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत की आदेशिका दिनांक 13.07.2015 के अनुसार वादीगण शांतिबाई, धापूबाई, नट्टी बाई एवं विद्याबाई द्वारा प्रतिवादी कम 1 हरिशचन्द्र उपस्थित हुए और आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है । राजीनामा स्वीकार कर शामिल मिसल किया गया परन्तु पत्रावली में कोई राजीनामा संलग्न नहीं है और इसी दिन बरूये राजीनामा दावा डिक्री किया गया है । जबकि अपीलान्टगण को प्रतिवादी कम 2 से 5 की हैसियत से पक्षकार बनाया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में बिना उनके राजीनामा के प्रकरण को बरूये राजीनामा निस्तारित नहीं किया जा सकता क्योंकि विधिक राजीनामा के लिए समस्त पक्षकारों द्वारा लिखित में राजीनामा दिया जाना आवश्यक होता है । आदेशिका दिनांक 13.07.2015 के अनुसार भी अपीलान्टगण उपस्थित नहीं हुए हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी की पालना किये बिना ही जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एंव जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 03.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा